तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 07/2025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.03.2025	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी पपाराम पुत्र पोलारामजी चौधरी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स राजेश्वर मिल्क डेयरी पार्लर, तहसील रोड़, छावनी, शिवगंज, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 12.7.2024 को मैसर्स राजेश्वर मिल्क डेयरी पार्लर, तहसील रोड़, छावनी, शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता पपाराम पुत्र पोलाराम जी चौधरी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Mix Milk का नमूना संख्या S-2354, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर के जांच रिपोर्ट क्रमांक:**L.S./1065/Act/2024/1113** दिनांक 25.7.2024 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्त को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। प्रकरण में प्रतिवादी अभियुक्त पपाराम को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी नियत सुनवाई तिथि 05.3.2025 को उपस्थित नही हुआ एवं न ही आज उपस्थित हुआ। प्रकरण में प्रतिवादी की ओर से कोई जवाब भी प्राप्त नही हुआ। अतः प्रतिवादी पपाराम के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुरुप प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जा रहा है। हमनें प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 12.07.2024 को समय 3–00 पी.एम. पर मैसर्स राजेश्वर मिल्क डेयरी पार्लर, तहसील रोड़, छावनी, शिवगंज, जिला– सिरोही पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी पपाराम पुत्र पोलाराम जी चौधरी उपस्थित मिले। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स राजेश्वर मिल्क डेयरी पार्लर, तहसील रोड़, शिवगंज, जिला– सिरोही की दुकान के निरीक्षण के दौरान मैसर्स राजेश्वर मिल्क डेयरी पार्लर की दुकान में एक फ्रीजर में आमजन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Mix Milk लगभग 80 लीटर में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु क्रय करने की सूचना प्रतिवादी विक्रेता पपाराम पुत्र पोलाराम जी चौधरी को प्रपत्र 5ए में भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स राजेश्वर दूध डेयरी पांर्लर की ....लगातार	

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

F.S.S Act Case No. 01/2025

दुकान में फ्रीजर में रखे हुए खाद्य पदार्थ Mix Milk को हिलामिलाकर स्वामी से 2 लीटर Mix Milk को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमतन क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 100/- (अक्षरे रुपये एक सौ मात्र) प्रतिवादी पपाराम पुत्र पोलाराम जी चौधरी को नकद अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने खरीदशुदा Mix Milk को हिला मिलाकर एकरूप करके इस खरीदशुदा Mix Milk को प्रतिवादी विक्रेता पपाराम पुत्र पोलाराम जी चौधरी के समक्ष चार साफ, सूखी एवं खाली शीशीयों में बराबर–बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्यके शीशी में फार्मेलीन की 40–40 बूंदे डालकर प्रत्येक नमूना शीशी को ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2354, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम Mix Milk आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता पपाराम पुत्र पोलाराम जी चौधरी के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने हस्ताक्षर किये। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा Mix Milk की चारों नमूना शीशीयों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा चारों नमूना शीशीयों/भागों पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-2354 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता पपाराम पुत्र पोलाराम जी चौधरी के हस्ताक्षर कराये व श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता पपाराम पुत्र पोलाराम जी चौधरी तथा श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुए है। तत्पश्चात् श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पंहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 16.07.2024 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विश्वजीत सिंह, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 12.07.2024 को ही शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा

.........लगातार

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 07/2025

करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स राजेश्वर मिल्क डेयरी पार्लर, तहसील रोड़, छावनी, शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता पपाराम पुत्र पोलाराम जी चौधरी से खाद्य पदार्थ Mix Milk को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Mix Milk के नमूना संख्या S-2354 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांकः **L.S./1065/Act/2024/1113** दिनांक 25.7.2024 में खाद्य पदार्थ Mix Milk का नमूना अमानक (sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी पपाराम पुत्र पोलाराम जी चौधरी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स राजेश्वर मिल्क डेयरी पार्लर, तहसील रोड़, छावनी, शिवगंज, जिला– सिरोही द्वारा अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Cow Milk (नमूना संख्या S-2354) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Mix Milk (नमूना संख्या S-2354) के विक्रय हेतु प्रतिवादी पपाराम पुत्र पोलाराम जी चौधरी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स राजेश्वर दूध डेयरी पार्लर, तहसील रोड़, छावनी, शिवगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 15,000/– (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी पपाराम पुत्र पोलाराम जी चौधरी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स राजेश्वर मिल्क डेयरी पार्लर, तहसील रोड़, छावनी, शिवगंज, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 09.4.2025 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)